कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल

अल्पकालीन निविदा सूचना

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित घाटे मे चल रहे आवास गृहों/पर्यटक सुविधा केन्द्रों, मानिला/पर्यटक आवास गृह, पदमपुरी/पर्यटक सुविधा केन्द्र, गजार/पर्यटक सुविधा केन्द्र, खेतीखान/प0आ0 गृह, थल को लीज/किराये पर 05 वर्ष हेतु दिया जाना प्रस्तावित है ।

कृपया कोई भी संस्था/उद्यमी/व्यवसायी तथा स्थानीय बेरोजगार नवयुवक जो उक्त केन्द्रो के संचालन करने हेतु इच्छुक हो, ऐसे आवेदनकर्ता निविदा आवेदन फार्म निर्धारित शुल्क रू0 2000.00 (G.S.T सहित) जमा कर निगम के मुख्यालय, कार पार्किंग, सूखाताल, नैनीताल मे किसी भी कार्य दिवस मे तथा सम्बन्धित जनपद के आवास गृहों के केन्द्र प्रबन्धकों से प्राप्त कर सकते है । आवेदन फार्म निविदादाता निगम की वेबसाईड www.kmvn.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते है । निविदायें निगम के मुख्यालय में दिनांक 17.2..2018 को अपरान्ह 2:00 बजे तक निविदा बाक्स में डाली जानी होगी, जो उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख अपरान्ह 3:00 बजे खोली जायेगी ।

किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।

प्रबन्ध निदेशक

Tendar K.M.Y

<u>नियम व शर्ते</u>

1– निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत होगी को प्रारम्भ मे संचालन अनुबन्ध 5 वर्ष हेतु किया जायेगा कार्य संतोषजनक होने पर इसे दोनो पक्षो की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है ।

2– पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में दिया जायेगा ।

3– निविदादाता को निविदा लिफाफे के बाहर से जिस पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र हेतु निविदा दरे दी गई है उनका नाम अंकित करना होगा। निविदा लिफाफे के अन्दर 2 और लिफाफे अलग–अलग दिये जाने होगें। जिसमें पहले लिफाफे में निविदादाता को तकनीकी निविदा हेतु अपना पैन नं0/पहचान पत्र/तीन वर्षो की इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति/आधार कार्ड, फॉर्म क्रय (कोई एक) करने की रसीद की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति दी जानी होगी एवं द्वितीय वित्तीय निविदा लिफाफे में दर सबंन्धी प्रपत्र दिया जाना होगा। **पहले लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा लिखकर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना होगा। प्रत्येक आवास गृह के लिये पृथक–पृथक निविदाये डालनी होगी ।**

4– निविदा जिनकी स्वीकृत होगी उन्हे सम्बन्धित ईकाई का संचालन स्वयं किया जाना होगा । उसके द्वारा सम्बन्धित केन्द्र को किसी अन्य पार्टी को Sublet नहीं किया जायेगा ।

5– जल/विद्युत व्यय/नगर पालिका परिषद के टैक्स आदि का भुगतान संचालनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा

6– पर्यटक आवास/पर्यटक सुविधा केन्द्र गृह का उपयोग केवल पर्यटन गतिविधियों के लिये ही मान्य होगा ।

7– संचालनकर्ता द्वारा आवास गृह/सुविधा केन्द्र या अन्य इकाई में मरम्मत/रंगाई पुताई के अतिरिक्त किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना नही किया जायेगा ।

8– निर्धारित न्यूनतम किराये की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि जमानत के रूप में इस कार्यालय में निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि जमा करनी होगी जो कि प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक होगी । चयनित निविदादाता यदि सम्बन्धित पर्यटक आवास गृह के संचालन हेतु एक सप्ताह के अन्तर्गत अनुबन्ध नही करता है तो ऐसी स्थिति में यह धनराशि कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम द्वारा जब्त कर दी जायेगी ।

9– पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र या अन्य इकाई में किसी तरह की क्षति हो जाने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा ।

10– पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र के किराये मे 2 वर्ष पश्चात् प्रत्येक तीसरे वर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी ।

11– सफल निविदादाता को किराये की राशि पर G.S.T धनराशि जो भी अनुमन्य हो किराये के साथ जमा करनी होगी । G.S.T की दरों मे संशोधन होने पर बढी हुई दरों के अनुसार ही G.S.T का भुगतान करना होगा ।

12– निविदा जिनकी स्वीकृत होगी, उन्हें 6 माह का किराया अग्रिम जमा करना किया जाना होगा तथा किराये की धनराशि प्रत्येक माह के 2 तारीख तक या नियत तिथि के 7 दिन के भीतर जमा करनी होगी। समय पर धनराशि जमा न होने पर 18 प्रतिशत वार्षिक कटौती कर वसूली जायेगी ।

13– यदि संचालनकर्ता द्वारा किराये की धनराशि जमा नहीं की जाती तो ऐसी स्थिति में किराये की अवशेष राशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी ।

14– अन्य शर्तो का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा, जो कि निविदा स्वीकृत होने वाले संचालनकर्ता के साथ एक सप्ताह के अन्दर निगम के मुख्यालय में किया जायेगा ।

15– निविदादाता को निविदा प्रारूप में अंकित पर्यटक आवास गृह के सम्मुख निर्धारित वार्षिक न्यूनतम दरों से ऊपर की किराये की धनराशि को फार्म में शब्दों एवं अंको दोनो में अंकित किया जाना होगा। इस धनराशि से कम किराये की धनराशि वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता केवल एक पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र हेतु पृथक–पृथक फार्म प्राप्त करेगे व पृथक लिफाफो मे निविदाये डालेगे । एक ईकाई हेतु केवल एक फार्म व एक लिफाफा दिया जाना होगा उसके अन्दर तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओ के फार्म अलग–अलग होगे । निर्धारित न्यूनतम दरें की सूची निम्नानुसार हैः–

क.सं	केन्द्र का नाम	न्यूनतम किराया	जमानत राशि
1.	पर्यटक आवास गृह, मानिला	रू0 4,00,000.00	रू0 40,000.00
2.	पर्यटक आवास गृह, पदमपुरी	रू0 5,50,000.00	रू0 55,000.00
3.	पर्यटक सुविधा केन्द्र, गजार	रू0 1,50,000.00	रू0 15,000.00
4.	पर्यटक सुविधा केन्द्र खेतीखान	रू0 30,000.00	रू0 3,000.00
5.	पर्यटक आवास गृह, थल	रू0 2,75,000.00	रू0 27,500.00

16– यदि शासन द्वारा संबन्धित पर्यटक आवास गृहों/पर्यटक सुविधा केन्द्रों को किन्ही कारणों से निगम से वापस लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता से इन इकाईयों को वापस लेने के लिए निगम अधिकृत होगा।

17– दिनांक 17.2..2018 को अवकाश होने की दशा में निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि तथा निविदा खोलने की तिथि अगले कार्य दिवस पूर्व निर्धारित समय पर ही होगी।

18– चयनित निविदादाता को अपना पैन कार्ड/पहचान पत्र/आधार कार्ड की मूल प्रति समीति के सदस्यों के सदस्यो के सम्मुख अनुबन्ध से पहले पूर्व दिखानी होगी ।

19– विगत तीन वर्षो की I.T.R. की भी मूल प्रति चयनित निविदादाता को समीति के सदस्यो के सम्मुख अनुबन्ध से पहले पूर्व दिखानी होगी ।

———0———